

# फर्द अहकाम

2023/64

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
वसीम आदि बनाम सहीदरजा आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 88 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.08.2023	<p>प्रार्थी की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	
08-9-2023	<p>वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	
08-11-2023	<p>वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	
9-1-2024	<p>वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	
11-3-2024	<p>वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	
15-5-2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 08.09.2023 को पेश हो</p>	

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर